न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 20/2022

कमाल हुसैनपुत्र नजर मोहम्मद निवासी तालकटोरा सोहराब खॉ की हवेली, टोंकराज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक जिला-टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22.06.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिमकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक जिला-टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 30-04-2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

दिनांक 4/03/2022 को दी गई आवेदन डिसपेज नं. 372 पर की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जाये की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक जिला-टोंक को पत्र क्रिमांक 603 दिनांक 8-6-2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः 892 दिनांक 13-06-2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में उनके पत्र क्रमांकः 556 दिनांक 17-05-2022 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है । अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested